# विषय-सूची

संचालक (Driver)			समावेशन (Inclusion)		
1.	विकास (Growth)	2	1.	विद्यालयी शिक्षा (School Education)	53
2.	रोजगार एवं श्रम सुधार		2.	उच्च शिक्षा (Higher Education)	55
	(Employment and Labour Reforms)	4	3.	अध्यापक शिक्षा और प्रशिक्षण	
3.	तकनीकी एवं नवाचार			(Teacher Education and Training)	58
	(Technology and Innovation)	7	4.	कौशल विकास (Skill Development)	60
4.	उद्योग (Industry)	9	5.	सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन एवं क्रियाशीलता	
5.	किसानों की आय को दोगुना करना			(Public Health Management and Action)	62
	(Doubling Farmers' Income		6.	समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल	
	(I) : कृषि का आधुनिकीकरण			(Comprehensive Primary Health Care)	64
	(I) : Modernizing Agriculture	12	7.	स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन	
6.	किसानों की आय को दोगुना करना			(Human Resources for Health)	66
	(Doubling Farmers' Income		8.	सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज	
	(II) : नीति एवं प्रशासन	1.4		(Universal Health Coverage)	68
7.	(II): Policy & Governance किसानों की आय को दोगुना करना	14	9.	पोषण (POSHAN-Prime Minister	
/•	(Doubling Farmers' Income			Overarching Scheme for Holistic)	70
	(III) : वैल्यू चेन तथा ग्रामीण अवसंरचना		10.	सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज	
	(III) : Value Chain & Infrastructure	17		(Universal Health Coverage)	72
8.	वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)	19	11.	वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizens)	75
9.	सभी के लिए आवास (Housing For All)	21	12.	নি:মান্সন जन (Disabilities Person)	76
10.	यात्रा, पर्यटन एवं आतिथ्य		13.	ट्रांसजेंडर (Transgender)	78
10.	(Travel, Tourism and Hospitality)	23	14.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग	
11.	खनिज (Minerals)	25		(SCs/STs and Other Backward Class)	79
			15.	अल्पसंख्यक (Minorities)	81
अवसंरचना (Infrastructure) प्रशासन (Administration)					
1.	ক্তর্जা (Energy)	28	1.	संतुलित क्षेत्रीय विकास : आकांक्षी जिलों का परिवर्त	न
2.	स्थल परिवहन (Surface Transport)	31		(Balanced Regional Development :	
3.	रेलवे (Railway)	33		Transformation Aspirational Districts)	84
4.	नागरिक उड्डयन (Civil Aviation)	35	2.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र (The North-East Region)	86
5.	बंदरगाह, जल परिवहन तथा अंतर्देशीय जलमार्ग	(Ports,	3.	विधिक, न्यायिक तथा पुलिस सुधार	
	Shipping and Inland Waterways)	37		(Legal, Judicial and Police Reforms)	89
6.	लॉजिस्टिक (Logistic)	39	4.	सिविल सेवा सुधार (Civil Services Reforms)	91
7.	डिजिटल कनेक्टिविटी (Digital Connectivity)	41	5.	शहरी परिवर्तन के लिए शहरी प्रशासन का	
8.	शहरी परिवर्तन के लिए स्मार्ट सिटी			आधुनिकीकरण (Modernizing City Governance	0.5
	(Smart Cities for Urban Transformation)	44		for Urban Transformation)	93
9.	स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission)	46	6.	भूमि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग	0.5
10.	जल संसाधन (Water Resources)	48	7	(Optimizing the Use of Land Resources)	95
11.	सतत् पर्यावरण (Sustainable Environment)	50	7.	आंकड़ों पर आधारित प्रशासन तथा नीति-निर्माण (Data led Governance and Policy Making)	97
	,			(Data led Governance and Folicy Making)	1

#### प्राक्कथन

भारत के विकास की दिशा तथा रूप रेखा की जानकारी होना सिविल सेवा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों हेतु अति आवश्यक है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था जरूर है परंतु भारत के विकास के संदर्भ में आयोग की रिपोर्ट तथा सिफारिशें बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस कारण सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों से आशा की जाती है कि नीति आयोग की रिपोर्ट एवं सिफारिशों को ध्यान से पढ़ें। रिपोर्ट के भारी भरकम होने के कारण तथा समय प्रबंधन की समस्या अभ्यर्थियों को सभी रिपोर्ट पर नजर रखने में समस्या उत्पन्न करती हैं, इस कारण निर्माण प्रकाशन ने नीति आयोग की रिपोर्ट अभिनव भारत @ 75 हेतु रणनीति को संक्षिप्त रूप में प्रकाशित किया है ताकि अभ्यर्थी कम समय में इस रिपोर्ट की बेहतर तरीके से पढ़ और समझ सकें।

नीति आयोग ने भारत के लिए समग्र राष्ट्रीय कार्यनीति जारी की, जिसमें 2022-23 के लिए स्पष्ट उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है। यह 41 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विस्तृत विवरण है, जो पहले से हो चुकी प्रगति को मान्यता प्रदान करती है, बाध्यकारी रुकावटों की पहचान करती है और स्पष्ट रूप से वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा के बारे में सुझाव देती है।

प्रधानमंत्री की ओर से किए गए 2022 तक अभिनव भारत की स्थापना के आह्वान से प्रेरणा और दिशा लेते हुए नीति आयोग ने पिछले साल कार्यनीति दस्तावेज का निरुपण करने की यात्रा प्रारंभ की।

इस दस्तावेज की प्रस्तावना में प्रधानमंत्री ने कहा है कि, ''नीति आयोग द्वारा लाई गई 'अभिनव भारत @75 के लिए कार्यनीति' नीति निरुपण और कार्यान्वयन के मूल में नवाचार, प्रौद्योगिकी, उद्यम और दक्ष प्रबंधन को एक साथ लाने का प्रयास है। यह विचार विमर्श और चर्चा को प्रोत्साहन देगी तथा हमारे नीतिगत दृष्टिकोण को और परिष्कृत करने के लिए फीडबैक आमंत्रित करेगी। हमारा मानना है कि आर्थिक बदलाव जन भागीदारी के बिना संपन्न नहीं हो सकता। विकास को हर हाल में जन आंदोलन बनना ही चाहिए।''

इस कार्यनीति दस्तावेज में नीतिगत वातावरण में और सुधार लाने पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है, ताकि निजी निवेशक और अन्य हितधारक अभिनव भारत 2022 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान दे सके तथा 2030 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ा सके।

दस्तावेज के 41 अध्यायों को चार खंडों : **संचालक, अवसंरचना, समावेशन और गवर्नेंस** में विभाजित किया गया है।

संचालकों पर आधारित पहला खंड आर्थिक निष्पादन के साधनों, विकास और रोजगार, किसानों की आमदनी दोगुनी करने, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष पारिस्थितिकी को उन्नत बनाने और फिनटेक तथा पर्यटन जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने संबंधी अध्यायों पर ध्यान केन्द्रित करता है।

#### वाहकों से संबंधित खंड में की गई कुछ प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं:

- चर्ष 2018-23 के दौरान लगभग 8 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की विकास दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था की गित को निरंतर तेजी से बढ़ाना। इससे अर्थव्यवस्था के आकार में वास्तविक अर्थ में विस्तार होगा और यह 2017-18 में 2.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2022-23 तक लगभग चार ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) द्वारा आंकी गई निवेश दरों में जीडीपी के मौजूदा 29 प्रतिशत में वृद्धि लाते हुए 2022 तक 36 प्रतिशत तक बढ़ाना।
- ♦ कृषि क्षेत्र में, ई-राष्ट्रीय कृषि मंडियों का विस्तार करते हुए तथा कृषि उपज विपणन सिमिति अधिनियम के स्थान पर कृषि उपज और मवेशी विपणन अधिनियम लाकर किसानों को 'कृषि उद्यमियों' में परिवर्तित करने पर बल दिया जाए।
- ◆ 'शून्य बजट प्राकृतिक खेती' की तकनीकों पर दृढ्ता से बल देना जिससे लागत में कमी आती है, मृदा की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा किसानों की आमदनी बढ़ती है। यह वातावरण के कार्बन को मृदा में ही रखने की एक जांची परखी पद्धित है।
- रोजगार के अधिकतम साधनों का सृजन सुनिश्चित करने के लिए श्रम कानूनों का संहिताकरण और प्रशिक्षुताओं को बढ़ाने और विस्तार करने के प्रबल प्रयास किए जाने चाहिए।
- ◆ खनन अन्वेषण और लाइसेसिंग नीति का पुनर्निर्माण करने के लिए 'एक्सप्लोर इन इंडिया' मिशन का आरंभ।

**दूसरा खंड अवसंरचना** से संबंधित है जो विकास के भौतिक आधारों का उल्लेख करता है जो भारतीय कारोबारों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने और नागरिकों के जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

#### अवसंरचना से संबंधित खंड में की गई कुछ प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं:

- पहले से मंजूर किए जा चुके रेल विकास प्राधिकरण (आरडीए) की स्थापना में तेजी लाना। आरडीए रेलवे के लिए एकीकृत,
   पारदर्शी और गतिशील मूल्य व्यवस्था के संबंध में परामर्श देने या सुविज्ञ निर्णय लेने का कार्य करेगा।
- तटीय जहाजरानी और अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा फ्रेट परिवहन के अंश का दोहरा करना। बुनियादी ढांचा पूरी तरह तैयार होने तक शुरुआत में, वायबिलिटी गैप फॉडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। परिवहन के विभिन्न साधनों को एकीकृत करने तथा मल्टी-मॉडल और डिजिटांइन्ड गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए आईटी-सक्षम मंच का विकास।
- ◆ 2019 में भारत नेट कार्यक्रम के पूरा होने के साथ ही 2.5 लाख ग्राम पंचायतें डिजिटल रूप से जुड़ जाएंगी। वर्ष 2022-23 तक सभी सरकारी सेवाएँ राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

समावेशन से संबंधित खंड समस्त भारतीय नागरिकों की क्षमताओं में निवेश के अत्यावश्यक कार्य से संबंधित है। इस खंड के तीन विषय स्वास्थ्य , शिक्षा और परंपरागत रूप से हाशिए पर मौजूद आबादी के वर्गों को मुख्य धारा में लाने के आयामों के इर्द-गिर्द घूमते हैं।

#### समावेशन से संबंधित खंड में की गई कुछ प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं:

- देश भर में 150,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की स्थापना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान (पीएम-जेएवाई) प्रारंभ करने सिंहत आयुष्मान भारत कार्यक्रम का सफल कार्यान्वरयन।
- केन्द्रीय स्तर पर राज्य के समकक्षों के साथ सार्वजिनक स्वास्थ्य के लिए फोकल प्वाइंट बनाना। समेकित चिकित्सा पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन।
- ◆ 2020 तक कम से कम 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना के जरिए जमीनी स्तर पर नई नवोन्मेषी व्यवस्था सृजित करते हुए स्कूली शिक्षा प्रणाली और कौशलों की गुणवत्ता में सुधार लाना।
- प्रत्येक बच्चे की शिक्षा के निष्कर्षों पर नजर रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय शैक्षिक रजिस्ट्ररी की संकल्पना करना।
- आर्थिक विकास पर विशेष बल देते हुए कामगारों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा समानता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की ही तरह शहरी क्षेत्रों में भी किफायती घरों को प्रोत्साहन देना।

गवर्नेंस से संबंधित अंतिम खंड में इस बात पर गहन चिंतन किया गया है कि विकास के बेहतर निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए गवर्नेंस के ढांचों को किस तरह सुव्यवस्थित और प्रक्रियाओं को अनुकूल बनाया जा सकता है।


#### गवर्नेंस से संबंधित खंड में की गई कुछ प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं:

- ◆ उभरती प्रौद्योगिकियों के बदलते संदर्भ तथा अर्थव्यवस्था की बढ़ती जटिलताओं के बीच सुधारों का उत्तराधिकारी नियुक्त करने से पहले दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन करना।
- मध्यस्थता की प्रक्रिया को किफायती और त्वरित बनाने तथा न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता का स्थान लेने के लिए मध्यस्थता संस्थाओं और प्रत्यायित मध्यस्थों का आकलन करने के लिए नए स्वायत्त निकाय यथा भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना।
- लांबित मामलों को निपटाना- नियमित न्याय प्रणाली के कार्य के दबाव को हस्तांतरित करना।
- भराव के क्षेत्रों को कवर करने, प्लास्टिक अपिशष्ट और नगर निगम के अपिशष्ट तथा अपिशष्ट से धन सृजित करने की
  पहलों को शामिल करते हुए स्वच्छ भारत मिशन के दायरे का विस्तार करना।

इस रिपोर्ट को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि अभ्यर्थी प्रारंभिक मुख्य एवं साक्षात्कार तीनों प्रारूपों में इसका प्रयोग कर सके। अंतिम समय में रिवीजन को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट को आवश्यकतानुसार रेखाचित्र भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास अभ्यर्थियों की तैयारी को बेहतर सरल एवं परीक्षोपयोगी बनाने में सहायक सिद्ध होगा।



# 1. विकास (Growth)



#### वर्तमान स्थिति


- देश के GDP में विनिर्माण का प्रतिशत अन्य निम्न तथा मध्यम आय के देशों की तुलना में काफी कम है।
- 1991 के आर्थिक उदारीकरण के पश्चात् अब तक इसमें कोई विशेष बढोतरी दर्ज नहीं हुई है।
- सकरात्मक बात यह है कि समिष्ट अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उच्च विकास दर प्राप्त कर ली गई है। जिसमें निम्न एवं स्थिर मुद्रास्फीति दर तथा राजकोषीय घाटे का घटना भी शामिल है।

#### भविष्य में

#### 1. 2022-23 तक निवेश दरों को बढ़ाकर 36% करना

- निवंश दर को 36 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिये निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में निवंश को बढावा देना होगा।
- O सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिये भारत को अपने टैक्स-जीडीपी अनुपात को बढ़ाकर 22% तक करना होगा। विमुद्रीकरण तथा GST ने इस कार्य में महती भूमिका निभाई है।
- वाणिज्य कर तथा निजी आयकर दोनों क्षेत्रों को युक्तिसंगत बनाने की दिशा में प्रयास करना होगा।
- ठैक्स जमा करने की व्यवस्था को और सुगम बनाना होगा तथा तकनीकी के प्रयोग द्वारा करदाता एवं कर अधिकारियों के बीच के अंतराल को यथा संभव कम करना होगा।

- असरकार ने इस दिशा में कार्य करने के लिए कई महत्त्व-पूर्ण कदम उठाए हैं जिनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने के लिये शर्तों को सरल बनाना तथा इस दिशा में बाजार की उदारता को अधिक शामिल हैं।
- ऐसे सभी केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र (CPSEs) जिनकी प्रकृति रणनीतिक नहीं है सरकार को उनसे बाहर निकल जाना चाहिये। यह कदम निजी निवेश को आकर्षित भी करेगा।



India's real GDP growth

नवीनीकृत सार्वजनिक निजी निवेश (PPP) मॉडल द्वारा अवसंरचना के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना। यह केलकर समिति द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों में से एक है। 

#### 2. माइक्रो इकोनॉमिक की स्थिरता विवेकपूर्ण राजकोषीय व मौद्रिक नीतियों के माध्यम से

- भारत जैसे विकासशील देश के लिए निरंतर उच्च विकास के लिए व्यापक आर्थिक रणनीति की आवश्यकता होती है। इसमें राजकोषीय व मौद्रिक नीतियों का विवेकपूर्ण संयोजन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- वर्तमान आर्थिक स्थिति को आधार मानकर सरकार को चाहिये कि वह राजकोषीय घाटे की नियंत्रित करने के लिये एक लोचशील वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण करे।
- प्रभावी राजस्व घाटे को यथाशीघ्र कम करने की आवश्यकता है।
- मुद्रास्फीति को निर्धारित लक्ष्य दायरा 2% से 6% के के मध्य सीमित करने की आवश्यकता है।

#### 3. कुशल वित्तीय मध्यस्थता

- गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक सिटी (GIFS) को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता बल दिया जाना चाहिए।
- यदि सरकार द्वारा जीआईएफटी (GIFS) कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया तो निश्चितरूप से देश में उदारीकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। तथा समावेशी विकास के संकल्पना के क्रियान्वयन में आशातीत सफलता मिलने की सम्भावना है।
- पूंजी, वित्तीय बाजार के प्रभावी उपयोग तथा बैंकिंग क्षेत्र
   में उन्नत जोखिम निर्धारण फ्रेमवर्क द्वारा वित्तीय बाजार
   को आर्थिक क्षेत्र में मजबूत करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रशासनिक स्तर पर गत्यात्मक सुधार की जरूरत है।

#### 4. निर्यात और विनिर्माण पर विशेष फोकस

 भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धात्मक रूख अपनाने की आवश्यकता है, विशेष कर उत्पादन, विनिर्मित वस्तुओं

- तथा प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात इत्यादि क्षेत्र में।
- भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को सुनिश्चित करने के लिये पावर टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए।
- अायात शुल्क जिसे देशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये प्रयोग किया जाता है। इसे उत्पादन बढ़ाने के लिये भी प्रयोग में लाया जा सकता है यह भारत को विश्व संबंधित करने के लिये पूर्व घोषित अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने में शीघ्रता करना। उदाहरण के लिये 2022-23 तक दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तथा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पूरा करना।
- अम एवं भूमि विनिमय को सुगम बनाने हेतु राज्य के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिये। सभी राज्य सरकारों को शीघ्रतापूर्वक निश्चित रोजगार (Fixed Term Employment) को कार्यान्वित करना चाहिये जो अब लगभग सभी क्षेत्रों में विस्तारित किया जा चुका है।
- उदिक्षण एशिया के उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों, विशेष रूप से कम्बोडिया, लाओस, म्यॉमार तथा वियतनाम के साथ BBIN (बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल) एवं BIMSTEC फ्रेमवर्क के अन्तर्गत आर्थिक एकीकरण की दिशा में प्रयास करने चाहिये।
- विनिर्माण तथा अवसंरचना जैसे श्रम गहन क्षेत्र में बड़े स्तर पर रोज़गार निर्माण के उपाय करने चाहिये।


#### 5. रोजगार सृजन

- अमिकों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिये उनके स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है तथा उनके कौशल विकास के लिये अप्रेंटिसशिप योजनाओं के विस्तार की भी जरूरत है।
- हाल ही में प्रस्तुत किया गया रोजगार से सम्बन्धित आंकड़े चौकाने वाले हैं।

नीति आयोग


## 2. रोजगार एवं श्रम सुधार

## (Employment and Labour Reforms)



#### वर्तमान स्थिति

- भारत की कुल कार्यशिक्त लगभग 52 करोड़ है। जिसमें 49 प्रतिशत के आसपास कृषि कार्य से जुड़े है जबिक उनका जीवीए में सहयोग मात्र 15 प्रतिशत है।
- वहीं चीन की कुल कार्यशिक्त का केवल 29 प्रतिशत कृषि कार्य में लिप्त है तथा उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में क्रमश: 13.7 प्रतिशत और 37.5 प्रतिशत लोग लगे हैं जो जीवीए में क्रमश: 23.5 प्रतिशत लोग लगे हैं जो जीवीए में क्रमश: 23 प्रतिशत तथा 62 प्रतिशत का योगदान करते हैं।



Share of workforce employed in agriculture

- कृषि कार्य में लगे बड़ी संख्या में श्रमिक रोजगार की खोज के लिये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों की ओर जाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
- कुल श्रमशक्ति को खपाने के लिये वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था को वार्षिक तौर पर लगभग 70 लाख नौकरियाँ निर्माण करने की जरूरत होगी।
- भारत में महिला श्रम शिक्त सहभागिता दर 2011-12 में 23.7 प्रतिशत थी जो चीन के 61 प्रतिशत तथा अमेरिका के 56 प्रतिशत से बहुत कम है।
- ⇒ वर्तमान समय में भारत सरकार ने श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाने रखने के लिये कई योजनाएँ एवं नीतियाँ कार्यान्वित की हैं। जिनमें प्रमुख हैं — लाइसेंस एवं अनुपालन प्रक्रिया को ऑनलाइन करना, कई बड़े क्षेत्रों की प्रक्रिया को सरल तथा स्व-प्रमाणीकरण की अनुमित देना, 38 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिताओं में विभाजित युक्तिसंगत बनाना जिसमें वेतन, सुरक्षा एवं कार्य की स्थितियाँ, औद्योगिक संबंध तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण समाहित हैं।

रोजगार निर्माण के लिये केन्द्र सरकार द्वारा जनिहत में लाई गई प्रमुख योजनाएँ हैं— मनरेगा योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आदि।

#### बाधाएँ

भारत की कुल कार्यशक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे क्षेत्र के रोजगार में संलग्न है जो कम उत्पादन तथा कम वेतन से संबंधित है।

- श्रिमिकों की एक बड़ी संख्या अनौपचारिक क्षेत्रों से भी जुड़ी है यह श्रम कानूनों एवं सामाजिक सुरक्षा के तहत समावेशित नहीं हो पाते।
- भारत कौशल रिपोर्ट-2018 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों से आने वाले केवल 47 प्रतिशत लोग ही रोजगार पाने योग्य होते हैं।
- अभी हमारे पास कुल श्रमशिक्त के अपडेटेड एवं आविधक (पीरियोडिक) आँकडों की भी नितांत कमी है।



#### भविष्य में

#### 1. शिक्षित तथा प्रशिक्षुता की संख्या में बढ़ावा

अमिकों के कौशल विकास के लिये सर्वप्रथम उनकी कौशल किमयों की पहचान करना तथा उन्हें प्रशिक्षण देने के लिये एक श्रम बाजार सूचना प्रणाली (LMIS) के विकास का प्रयास करना है।

#### 2. श्रम कानून में बदलाव

- अम कानूनों के सुधार के लिये उनके संहिताकरण की प्रक्रिया को तीव्रता से पूरा किया जाना आवश्यक है।
- हाल ही में प्रकाशित एक अन्तर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर हुआ है कि देश के तकरीबन 65% श्रमिकों सस्ते व सुलभ कानून के अभाव में स्थानीय स्तर के ठकेदारों द्वारा शोषित किए जाते हैं। यह बात विदित हो कि, नये नियम विनयम के अभाव में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर आर्थिक शोषण एवं आमघटना है, जिसे तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए।

#### 3. महिला श्रम बल की भागीदारी को बढ़ावा

- महिला श्रमशक्ति सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिये मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का प्रयास करना।
- इसके अलावा, इन कानूनों को अनौपचारिक क्षेत्रों में लागू करने की दिशा में भी पहल करना।
- महिलाओं के लिये विशेष रूप से कौशल विकास कार्यक्रम तथा अप्रेंटिसशिप को प्रोत्साहित करना।

#### 4. रोजगार डेटा संग्रह में सुधार

सामायिक श्रम बल सर्वेक्षण का शुभारम्भ अप्रैल 2017 में आरम्भ किया गया था। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य 2019 तक घरेलू स्तर पर लोगों के श्रम बल की उपयोगिता की गणना की जिम्मेदारी है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि, यह गणना देश में बढ़ रहे प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति में सुधार हेतू क्रियान्वित है।

5

निर्माण IAS New India@75

 रोजगार संबंधी अपडेटेड डेटा संग्रहण को विकसित करना, रोजगार के औपचारीकरण को बढ़ावा देने के लिये औद्योगिक संबंधों को सरल करना।

#### उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु विवादों का त्विरत निपटारा

- अभिक विवादों के समाधान हेतु श्रम न्यायालय/ट्रिब्यूनल को दृढ्ता प्रदान करना तथा विभिन्न प्रकार के विवादों के समाधान के लिये समय-सीमा निर्धारित करना।
- एक आम श्रमिक के लिए धन व समय दोनों महत्त्वपूण ि है।
- राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी कानून को अनिवार्य बनाना।


#### 6. मजदूरी/मेहनताना

न्यूनतम श्रमिक अधिनियम, 1948 में संशोधन कर सभी
 प्रकार के श्रमिकों को शामिल करने की आवश्यकता हैं।

 वेतन भुगतान को चेक के माध्यम से अथवा आधार समर्थ भुगतान सुविधा के लिये बाध्य करना।

#### 7. कार्य करने की स्थिति तथा सामाजिक सुरक्षा


- अौपचारिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अनौपचारिक क्षेत्रों में श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा के उपायों को बढा़वा देने की आवश्यकता है।
- असरकार को चाहिए कि सभी प्रकार के कार्यक्रम में श्रिमिकों के लिए व्यवसायिक सुरक्षा प्रणाली, शौचालय की व्यवस्था तथा मनोरंजन इत्यादि का विशेष ध्यान रखते हुए व्यवसायिक क्षेत्रों में विनार्माण कार्य से पूर्व पंजीकरण की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाए।
- कार्य-स्थित एवं सामाजिक सुरक्षा के लिये जोखिम निर्धारण के आधार पर वृहत व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा कानूनों को क्रियान्वित करना।
- ऑनलाइन शिकायत प्रणाली तथा मानक निवारण प्रक्रिया के माध्यम से श्रमिक निगरानी व्यवस्था में पारदर्शिता लाना।



 $\mathbf{i}$ 

## 3. तकनीकी एवं नवाचार

### (Technology and Innovation)



#### वर्तमान स्थिति

- भारत शोध एवं विकास कार्य के लिये एक प्रमुख आउटसोर्स माध्यम बन गया है। अभी हमारे पास बहुराष्ट्रीय कंपनियों, जैसे IBM, Google, Microsoft, Intel, Lupin, Wockhardt आदि के 110 से अधिक शोध एवं विकास केंद्र मौजूद हैं।
- ब्रह्मोस, एडवांस एयरडिफेंस युपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल, विभिन्न मिसाइलें तथा रॉकेट, दूर से संचालित किये जा सकने वाले वाहन और हल्के लड़ाकू विमानों का विकास भारत के सुरक्षा एवं रणनीतिक क्षेत्रों में प्रगति को उल्लेखित करता है।
- SLV से ASLV, PSLV तथा GSLV तक का क्रमिक विकास, प्रथम चंद्रकक्षीय यान चंद्रयान-I, मार्श ऑर्बिटर मिशन तथा हालिया प्रक्षेपित 104 उपग्रह भारत के अंतरिक्ष तकनीकी क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ दर्शाती हैं।
- भारत वर्तमान में स्टार्ट-अप की संख्या के दृष्टिकोण से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बना है।
- हाल ही में सरकार ने नवाचार, उद्यमिता तथा स्टार्टअप के माहौल को प्रोत्साहित करने के लिये अटल नवाचार मिशन प्रारंभ किया है।
- अटल नवाचार मिशन के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न चुनौतियों के समाधान पर विशेष फोकस किया जाएगा ताकि मानव जाति के लिए विज्ञान कभी भी भविष्य अभिशाप का रूप धारण न कर सके।

#### बाधाएँ

- विकास एवं शोध क्षेत्र में कम व्यय मुख्य रूप से निजी क्षेत्रों द्वारा, भारत में नवाचार के लिये एक बड़ी चुनौती है।
- 2004-05 से 2014-15 के बीच जहाँ भारत के शोध एवं विकास व्यय में तीन गुना इजाफा हुआ, किन्तु इसका आकार GDP के प्रतिशत के रूप में 0.7 प्रतिशत पर ही रहा जो चीन के 2 प्रतिशत (2015) तथा ब्राजील के 1.2 प्रतिशत (2014) की तुलना में बहुत ही न्यूनतम है। इज्जराइल जैसा देश शोध एवं विकास पर अपनी GDP का 4.3 प्रतिशत खर्च करने की क्षमता रखता है।
- तकनीकी रूप से विकसित देशों में निजी क्षेत्रों द्वारा शोध एवं विकास पर निवेश 65 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक किया जाता है जो भारत में अभी केवल 30 प्रतिशत के लगभग है।
- शोध, उच्च शिक्षा एवं उद्योग के बीच की कड़ी अभी भी कमज़ोर एवं अपरिपक्व है।
- हमारी शिक्षा प्रणाली में प्रारंभिक उम्र में वैज्ञानिक मनोवृत्ति
   के विकास पर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया जाता।
- सार्वजनिक निवेश की संस्थाओं तथा देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित महत्त्वपूर्ण तकनीकों के उद्योगों और सामाजिक लाभ के लिये हस्तांतरण की दर न्यूनतम है।
- भारतीय उद्योगों द्वारा देशी तकनीकों के अपनाने की प्रवृत्ति उत्साह के प्रतिकृल है।

िनर्माण IAS — New India@75

 नई स्टार्ट-अप एवं नवाचार तकनीकों को सरकारी खरीद से मिलने वाला सहयोग अभी भी पर्याप्त नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों की सस्ती तकनीकों, विशेष रूप से कृषि, कृषि प्रसंस्करण, सूक्ष्म सिंचाई आदि क्षेत्रों में प्रगति की स्थिति अच्छी नहीं दिखती है।


#### भविष्य में

विज्ञान के क्षेत्र में समग्र प्रबंधन के लिये एक मजबूत निकाय की जरूरत है जिसका कार्य क्षेत्र वैज्ञानिक शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध एवं विभिन्न विज्ञान पहलों को निर्देशित एवं संचालित करना हो।



- विभिन्न सार्वजिनक वित्तपोषित शोध एवं विकास तथा तकनीकी संस्थाओं, जैसे—DRDO, BARC, ICMR तथा ISRO आदि के तकनीकी संवर्द्धन और व्यवसायीकरण के लिये प्रत्येक संस्था में वैल्यू एडीशन सेंटर स्थापित करने का प्रयास करना।
- सार्वजनिक वित्तपोषित शोध संस्थाओं को चाहिये कि वे अपना ध्यान सामाजिक रूप से आवश्यक तकनीकों के विकास एवं तैनाती पर केंद्रित करते रहें जिनमें स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, ऊर्जा, वहनीय स्वास्थ्य सुविधाएँ तथा जैविक कृषि भी शामिल हैं।
- सभी सरकारी खरीद उत्पादों में उत्पादों एवं सेवाओं के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक नीलामी को केवल तभी अपनाया जाना चाहिये जबिक भारतीय विनिर्माणकर्त्ता उस उत्पाद या सेवा को तुलनात्मक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल

- उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो पा रहे हों। यह 'मेक इन इंडिया' पहल को बढावा देगा।
- ⇒ नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिये जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में लगभग ₹2 करोड़ के व्यपगत नहीं होने वाले (non-lapsable) जिला नवाचार कोष की स्थापना की जानी चाहिये ताकि यह बुनियादी नवाचारों को प्रोत्साहित कर सके।
- सामान्य विज्ञान के उभरते क्षेत्रों, जैसे नैनो तकनीक, स्टेम रिसर्च, खगोल विज्ञान, नई पीढ़ी जीनोमिक्स तथा दवाओं की खोज आदि क्षेत्रों में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये विदेशी सहयोगियों, विजिटिंग फैकल्टी तथा सहायक वैज्ञानिक आदि को सम्मिलित करने की आवश्यकता है।
- कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन उद्यमिता विकास कोष तथा नवाचार एवं स्टार्ट-अप को ऋण उपलब्ध कराने के लिये एक उच्च शिक्षा समिति के गठन की जरूरत है।



8